न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :– बीना महावर, आर.ए.एस.
अति0 जिला कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नंबर :– नया नंबर 08/2023

रजु दिनांक: :– 27.09.2023

रामसहाय पुत्र रामचन्द्रा उर्फ रामचन्द्र

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट

निर्णय – प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

उपस्थितः– 01. अधिवक्ता प्रार्थी घनश्याम सैनी

निर्णय दिनांकः 21-2-24

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी रामसहाय पुत्र रामचन्द्रा उर्फ रामचन्द्र जाति रैगर निवासी देवली तह0 लालसोट जिला दौसा द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि ग्राम देवली तहसील लालसोट स्थित सिवायचक भूमि खसरा नंबर 662/646/330 नया नंबर 756/330 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर प्रार्थी रामसहाय अपने बुजुर्गान रामचन्द्रा उर्फ रामचन्दर के जमाने से 50–60 वर्षो से काबिज चले आ रहे है तथा वर्तमान में प्रार्थी काबिज है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को काफी मेहनत व धन खर्च करके उपजाऊ बनाया है। संवत् 2033 से प्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। तहसीलदार लालसोट द्वारा एल.आर. एक्ट की धारा 91 के तहत प्रार्थीगण को नोटिस दिये गये है तथा प्रार्थी द्वारा समय–समय पर पेनल्टी भी अदा की जा रही है। आराजी वादग्रस्त को नानगा पुत्र गोपाल जाति रैगर द्वारा राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर दिनांक 28.02.1976 को बिना कब्जे के ही अलॉटमेंट करवाने के अभिवचन करते हुए प्रार्थी ने आगे कथन किये है कि प्रार्थी को उक्त आवंटन आदेश का पता चलने पर उक्त आवंटन आदेश की अपील प्रार्थी द्वारा अंतर्गत धारा 14(4) भू आवंटन नियम एडीएम जयपुर के यहॉ पेश की जिसे आवंटी नानगा पुत्र गोपाल का कब्जा नही होने के कारण उक्त आवंटन आदेश निरस्त फरमाया गया। जिसकी पालना में दिनांक 06.06.1990 को वादग्रस्त आराजी पुनः सिवायचक दर्ज की गई। उक्त आदेश अपील/निगरानी नही करने के कारण आदिनांक प्रभावी है। प्रार्थी का कहना है कि नानगा पुत्र गोपाल द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट [illegible] की वाद प्रस्तुत कर दिनांक 15.03.1999 को अपने हक में एक[illegible] में डिक्री [illegible] गया। जिसमें प्रार्थी को पक्षकार भी नही बनाया गया। तदुपरांत नायब [illegible] उदघोषणा निर्णय दिनांक 15.03.1999 का रेफरेंस विचारण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा [illegible] पेश किया जिसमें न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रतिपादि[illegible] किया है कि वाद उदघो[illegible] निर्णय व डिक्री की अपील/रेफरेंस का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 में है ना कि एल.आर. एक्ट की धारा 82 में जबकि नायब तहसीलदार द्वारा धारा 82 के तहत रेफरेंस पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है इस प्रकार तहसीलदार लालसोट को पुनः सुसंगत धारा में रेफरेंस प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। किन्तु तहसीलदार लालसोट द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Beena Mahawar
Date: 2024.03.05 16:35:55 IST
Reason: SelfAttested

पुनः रेफरेन्स पेश ही नही किया गया और अब नानगा पुत्र गोपाल जाति रैगर का आवंटन खारीज होने के पश्चात भी मृतक नानगा के वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोलने को तत्पर है जो नही खोला जावे। इस प्रकार प्रार्थी ने अभिवचन करते हुए मृतक नानगा के वारिसान के नाम नामान्तरकरण नही खोलने व न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट के निर्णय दिनांक 15.03.1999 का पुनः रेफरेन्स भेजने बाबत निर्देश दिये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना पत्र के संदर्भ में तहसीलदार लालसोट से रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय के विभिन्न पत्रो यथा कोर्ट/17/5827 दिनांक 31.07.2017, 7252 दिनांक 24.11.2017, 9757 दिनांक 13.06.2018, 1076 दिनांक 27.05.2019, 280 दिनांक 06.02.2024 द्वारा प्रकरण की रिपोर्ट चाहने के उपरान्त भी तहसीलदार की ओर से कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है। प्रकरण पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए नानगा के हक में हुए आवंटन को निरस्त करने के बाद न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट के निर्णय, डिक्री दिनांक 15.03.1999 का रेफरेंस करने व मृतक नानगा के वारिसान का नामांतरकरण नही खोले जाने के आदेश फरमाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के परिशीलन के उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 254 दिनांक 11.08.1976 ग्राम देवली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि खसरा नंबर 646/330 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा सिवायचक लगानी का मुताबिक अलॉटमेंट आदेश दिनांक 28.02.1976 एसडीओ दौसा, नानगा पुत्र गोपाल कौम रैगर के नाम खसरा नम्बर 662/646/330 एवम् 663/646/330 का गैर खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज किया गया है तथा तदुपरान्त उक्त अलॉटमेन्ट आदेश के निरस्त होने पर नामान्तरकरण संख्या 252 दिनांक 06.06.1990 द्वारा पुनः खसरा नंबर 662/646/330 को सिवायचक घोषित कर सिवायचक का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट के निर्णय दिनांक 15.03.1999 द्वारा नानगा को आराजी खसरा नंबर 662/646/330 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा के खातेदारी अधिकार प्राप्त होने तथा विचारण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के रेफरेन्स निर्णय दिनांक 18.10.2005 द्वारा उक्त आराजी के संबंध में तहसीलदार लालसोट को पुनः रेफरेन्स करने के निर्देश देने के विद्वान वकील प्रार्थी के तर्क न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट के निर्णय दिनांक 15.03.1999 एवं विचारण न्यायालय के निर्णय 18.10.2005 की छायाप्रतियों के अवलोकन से बखूबी स्पष्ट होते है। किन्तु तहसीलदार लालसोट द्वारा विचारण न्यायालय के निर्देशो के बाद वादग्रस्त आराजी का पुनः रेफरेन्स किया हो ऐसा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से साबित नहीं होता। ना ही निर्णय आदेश दिनांक 18.10.2005 की अपील होने के कोई तथ्य पत्रावली पर है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का रेफरेन्स निर्णय दिनांक 18.10.2005 आज भी प्रभावी परिलक्षित होता है। परिणामस्वरूप उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र समीचीन प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Beena Mahawar
Date: 2024.03.05 16:35:55 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त विवेचन एवम् तथ्यों के आधार पर प्रार्थी [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार लालसोट को 01 माह की अवधि में विचारण [illegible] के रेफरेन्स निर्णय दिनांक 18.10.2005 की पालना में राजस्थान [illegible] 1955 की धारा 232 के तहत पुनः रेफरेन्स प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते है। पत्रावली फै[illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार लालसोट को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक ...21/2/24... को सरे ईजलास सुनाया गया।

बीना महावर आरएएस
अतिरिक्त जिला कलक्टर, लालसोट